न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/610

मिसल नम्बर– 88 / 2025

1. सच्चानन्द माखीजा आयु 65 साल पुत्र स्वर्गीय श्री सन्तुमल माखीजा निवासी 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा राजस्थान

प्रार्थी।

बनाम

1. राकेश कुमार पुत्र सच्चानंद माखिजा आयु 44 वर्ष
2. दीपिका पत्नी राकेश आयु 36 साल निवासी 201 कमला उद्यान कुन्हाड़ी पुलिस थाना कुन्हाड़ी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/4/26

उपस्थितिः–

1.श्री आशीष माखिजा प्रार्थी अधिवक्ता।

2.अप्रार्थीगण स्वयं।

प्रकरण माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा से न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 30.05.2025 अपास्त किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्राप्त हुई। भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी परिवादी 201 कमला उद्यान कुन्हाडी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा राजस्थान में अपने परिवार के साथ निवास करता है तथा उक्त मकान परिवादी ने अपनी स्वअर्जित आय से बनाया गया है जिसके ग्राउन्ड फूलोर पर परिवादी व अपनी पत्नी व बंडे बेटे राकेश मखीजा व उसकी पत्नी दीपिका के साथ निवास करता था। प्रार्थी परिवादी के पुत्र राकेश माखीजा की शादी अप्रार्थी के साथ दिनाक 23–7–2023 को गुरूद्वारा आजमगढ साहिब बडगांव कोटा बून्दी रोड पर सम्पन्न हुयी। अप्रार्थी पूर्व पति से विवाह विच्छेद करने से पहले पति के नत्फे से पैदा हुआ एक 14 वर्ष का पूत्र साथ लेकर आयी थी। विवाह के बाद कुछ समय तक तो अप्रार्थी का व्यवहार प्रार्थी परिवादी व उसकी पत्नी के साथ अच्छा रहा परन्तु कुछ समय बाद ही अप्रार्थी के व्यवहार के परिवर्तन आने लगा वह आये दिन परिवादी व उसकी पत्नी जो कि सीनियर सिटीजन है उनके साथ कूरता पूर्वक व्यवहार करने लगी। अप्रार्थी परिवादी को कहती कि यह मकान मेरे नाम करदो तथा परिवादी ने उक्त मकान अप्रार्थी के नाम करने से मना किया तो अप्रार्थीया परिवादी के साथ गम्भीर मारपीट की तथा परिवादी व उसकी पत्नी को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

जान से मारने की धमकी दी गयी। परिवादी गम्भीर बीमारी बीपी, सुगर का पेशेन्ट है ऐसे में अप्रार्थीया परिवादी व उसकी पत्नी की देखभाल नही करती है तथा उसे समय समय पर दवाई गोली लेने हेत् खाने की आवश्यकता होती है वह भी पूरा नहीं करती तथा आयेदिन घर में क्लेश का वातावरण बनाये रखती है तथा कहने पर अप्रार्थीया प्ररिवादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो जाती है। अप्रार्थी को परिवादी के उक्त मकान में तृतीय फलोर पर रखने के लिए एक पोर्शन दे दिया है ताकि दोनों शांति पूर्वक निवास करे तब भी अप्रार्थीया के वयवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया तथा अप्रार्थीया तृतीय फलोर की बालकोनी से कचरा व पानी फेकंती है जो परिवादी के चौक व रास्ते में आकर गिरता है जिससे परिवादी का चौक व रास्ता गन्दा हो जाता है परिवादी ने मना किया तो अप्रार्थीया ने परिवादी के साथ गम्भीर मारपीट करी। अप्रार्थीया एक पढ़ी लिखी महिला है तथा प्राईवेट नौकरी कर काफी अच्छी आमदनी कर लेती है फिर भी परिवादी से उसकी सेवा न कर उसके साथ लडाई झगडा करने पर आमादा रहती है तथा घर का कोई काम धाम नहीं करती अप्रार्थीया ने सारे जेवर व पैसा अपने पावर व पजशन में ले रखा है अप्रार्थीया आये दिन घर में लेट रात्री में आती है तथा परिवादी पूछता है तो अप्रार्थीया परिवादी के साथ लडाई झगडा करती है। परिवादी के साथ अप्रार्थीया ने अक्टूबर 2023 में भी मकान अपने नाम कराने की बात को लेकर मारपीट करी जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना कुन्हाडी में कराई जिस पर थाना कुन्हाडी द्वारा धारा 107, 116(3) सीआरपीसी में दर्ज किया गया है। माह नवम्बर 2023 में भी परिवादी व अप्रार्थीया के मध्य लडाई झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना कुन्हाडी में अप्रार्थीया के विरूद्ध परिवादी द्वारा दर्ज करायी गयी थी। दिसम्बर 2023 में भी परिवादी ने अप्रार्थीया से कहा कि उपर से कचरा क्यों फेंक रही हो उस बात पर अप्रार्थीया ने परिवादी के साथ नीचे आकर गम्भीर मारपीट की जिससे परिवादी के हाथ के पंजे व हाथ पर गम्भीर चोटे आयी। जिसकी रिपोर्ट भी पूलिस थाना कुन्हाडी में शांति भंग में करायी गयी लेकिन कार्यवाही नहीं हुयी जिसके दस्तावेज साथ सलग्न है। जून 2024 में भी अप्रार्थीया जब घर पर लेट आयी तो परिवादी ने कहा कि बिना बताये जाती हो तथा रात को लेट आती हो इस बात को लेकर परिवादी से अप्रार्थीया ने लडाई झगडा किया तथा धमकी दी कि उसे टोका टाकी की तो वह परिवादी का जीना हराम कर देगी तथा अप्रार्थीया ने परिवादी से कहा कि मै किसी से नहीं डरती परिवादी अपने ही मकान में डरा सहमा रहता है उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक शहर कोटा साहब को परिवाद दिया गया। लेकिन उसमें भी कार्यवाही नहीं हुयी। अप्रार्थीया एक गुस्सेल एवं मगरूर प्रवृत्ति की महिला है जो अपने से बडो का सम्मान नहीं करती है तथा एक आपराधि प्रकरण अप्रार्थीया के खिलाफ न्यायालय जुडिशियल मजि० कम सख्या 1 साउथ कोटा में जैरकार है जिसमें आगमी पेशी दिनांक 13–2–25 नियत है। दिनांक 6–12–24 की रात्री को 10 बजे दीपिका बाहर से घूमती हुयी अकेली आयी तो प्रार्थी परिवादी घर पर मेन गेट पर ताला लगा हुआ था तो अप्रार्थीया ताला तोड़कर अन्दर आ गयी अप्रार्थीया के इस कृत्य का परिवादी ने विरोध किया तो लड़ाई झगडा करते हुए परिवादी का सामना करने लगी जिसकी शांतिभंग की रिपोर्ट परिवादी द्वारा थाना कुन्हाडी कोटा में दिनांक 6–12–24 को दी गयी। परिवादी को अप्रार्थी द्वारा मानसिक आर्थक शारीरिक रूप से कूरता पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

व्यवहार किया जा रहा है परिवादी दिनांक 2–7––24 से 4–7–24 को होस्पिटल में एडमिट रहा जिस पर भी अप्रार्थीया ने परिवादी की कोई सार सम्भाल व देखभाल नहीं की गयी ना ही होस्पिटल में खर्चा दिया बड़ी मूकिश्ल से परिवादी ने उधार राशि लेकर अपना ईलाज कराया। जिसके मेडिकल दस्तावेज सलग्ंन है। अप्रार्थीया एक अच्छी नोकरी से माहवार करीबन 20 हजार रूपये की आमदनी कर लेती है तथा प्रार्थीया के खिलाफ पुलिस थाना कन्हाडी कोटा में कई प्रकरण दर्ज है जो इस परिवाद के साथ सलग्न कए जा हे है। अप्रार्थीया सम्पन्न है तथा उसके पास उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन है फिर भी परिवादी व उसकी पत्नी को परेशान करती रहती है। तथा उनका किसी प्रकार से ध्यान नहीं रखती है उल्टा परेशान करती है तथा परिवादी व उसकी पत्नी के साथ लडाई झगड़ा व मारपीट करने को हमेशा तैयार व तत्पर रहती है। अतः परिवाद पेशकर निवेदन है कि परिवादी को अप्रार्थी से भरण पोषण के लिए 10 हजार रूपये मासिक दिलवाया जावे तथा साथ ही सीनियर सिटीजन जो कि काफी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है जिसके पास भरण पोषण हेतु आय का कोई साधन नहीं है अप्रार्थीया से भरण पोषण राशि दिलवायी जावे तथा अपनी चल अचल सम्पत्ति से अप्रार्थीया व उसके पुत्र को बेदखल किया जावे अप्रार्थीया को उक्त परिवादी की और उसकी पत्नी को शांति पूर्वक जीवन यापन करने के लिए पाबंद किया जावे तथा अन्य सहायता जो भी माननीय न्यायालय न्यायाचित समझै वह भी परिवादी व उसकी पत्नी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थी नं0 1 का जवाब का अवसर बंद किया गया।

अप्रार्थी नं0 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उक्त मकान प्रार्थी का स्वअर्जित आय से बनाया हुआ नही है, बल्कि उसमें अप्रार्थिया क्रम 2 के पति अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा भी पैसो का शेयर किया हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थिया क्रम 2 से शादी करते समय अप्रार्थिया क्रम 2 व रिश्तेदारो के समक्ष अप्रार्थिया क्रम 2 के साथ साथ अप्रार्थिया क्रम 2 के पुत्र अंश की जिम्मेदारी उठाने का भी अप्रार्थिया क्रम 2 को विश्वास दिलाया था, परन्तु अब अप्रार्थी क्रम 1 व प्रार्थी ने आपस में मिलीभगत करके अप्रार्थिया क्रम 2 को घर से निकालने पर आमदा है। जबकि अप्रार्थिया क्रम 2 का कोई सहारा नही है, पिता हार्ट पैशेन्ट है, कमाने वाला कोई नही है। अप्रार्थिया क्रम 2 ने अपने पत्निवृत धर्म का पूर्ण पालन किया है और आज भी करने के लिए तैयार व तत्पर है, परन्तु अप्रार्थी क्रम 1 ने अप्रार्थिया क्रम 2 से शादी करते समय जो अप्रार्थिया क्रम 2 को विश्वास दिलाया कि अप्रार्थिया क्रम 2 के साथ–साथ पुत्र अंश का भी समस्त भरण–पोषण पालन –पोषण व जिम्मेदारी वह उठायेगा, परन्तु अब अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा उपरोक्त जिम्मेदारियां का निर्वहन करने से इन्कार कर दिया है और अप्रार्थिया क्रम 2 को अकेला जीने मरने के लिए छोड दिया है और अब मिलीभगत के तहत अप्रार्थिया क्रम 2 को घर से निकालने पर आमदा हो रहे है, यदि अप्रार्थिया क्रम 2 को घर से निकाल दिया गया तो अप्रार्थिया कहा जाएगी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

और वह बेघर बाहर हो जाएगी और सड़क पर आ जाएगी और अप्रार्थिया क्रम 2 को काफी कठिनाईयो का सामना करना पडेगा। अप्रार्थिया क्रम 2 ने कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 पर यह दबाव नही बनाया कि मकान उसके नाम करे, बल्कि प्रार्थिया तो उक्त मकान के एक कोने में छोटी सी जगह चाहती है, ताकि अप्रार्थिया अकेली महिला अपना व अपने पुत्र का जीवन यापन कर सके, तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थिया को जीवन निर्वाह हेतु राशि दिलवाई जावे। यहां यह लिखना आवश्यक है कि अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थिया क्रम 2 के साथ कभी भी ठीक तरह से व्यवहार नही किया गया बल्कि अप्रार्थी क्रम 1 अपने माता पिता के बहकावे में आकर अप्रार्थिया क्रम 2 की शादी के बाद से ही उपेक्षा की जाती रही है, परन्तु अप्रार्थिया क्रम 2 अपना घर नही बिगाडना चाहती थी, इस कारण से अप्रार्थिया क्रम 2 यह सोचकर सब धीरे–धीरे ठीक हो जाएगा, परन्तु प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 के व्यवहार में बदलाव नही आया और अप्रार्थिया क्रम 2 के साथ प्रताडनाए व क्रुरता पूर्ण व्यवहार और ज्यादा बढता चला गया। यहां तक कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के साथ मिलीभगत करके अप्रार्थिया क्रम 2 को मकान से निकालने की गरज से झूंठे तथ्यो के आधार पर यह कार्यवाही प्रस्तुत की है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी अप्रार्थिया क्रम 2 व उसके बच्चे का परित्याग किया हुआ है, जिसके कारण अप्रार्थिया क्रम 2 व उसके बच्चे को बमुश्किल जीवन यापन करना पड रहा है। अप्रार्थिया क्रम 2 ज्यादा पढी लिखी नही है, बल्कि अप्रार्थिया क्रम 2 मात्र 10 वी तक पढ़ी लिखी है, और कोई काम धन्धा नही जानती है, ना ही अप्रार्थिया क्रम 2 की स्वयं की कोई आय ही है, बल्कि अप्रार्थिया क्रम 2 अपने रिश्तेदारो व माता–पिता से सहायता लेकर बमुश्किल जीवन यापन कर रही है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रम–1 को भी अपने प्रभाव में लेकर बहला फुसला रखा है, जो भी अप्रार्थी क्रम 1 भी अप्रार्थिया क्रम 2 कोई खर्चे की राशि नही देता है। अप्रार्थिया क्रम 2 के पास कोई जैवर व पैसा नही है, बल्कि अप्रार्थी क्रम 1, प्रार्थी के साथ मिलीभगत करके अप्रार्थिया क्रम 2 को घर से निकालने पर आमदा है, और अप्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी ने अप्रार्थिया क्रम 2 के जैवरात भी अपने कब्जे में कर रखे है और अब अप्रार्थिया कम 2 को उपरोक्त घर से निकालने पर आमदा हो रहे है, जबकि अप्रार्थिया क्रम 2 शांतीपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहती है, परन्तु अप्रार्थिया क्रम 2 को घर से निकालने के दुराशय से झूंठे तथ्य अंकित करवाये गये है, जो पूर्णतया अस्वीकार है। अप्रार्थिया क्रम 2, प्रार्थी को अपने पिता समान मानती है और उनके साथ अभद्र व्यवहार या मारपीट करना तो बहुत दूर की बात है, अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्राथी को बहला फुसलाकर व दबाव में लेकर अप्रार्थिया क्रम 2 को मकान से बेदखल कराने के आशय से झूंठे तथ्य अंकित करवाये गये है। अप्रार्थिया क्रम 2 ने कभी भी प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा नही किया है, बल्कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थिया को एक छोटे से कमरे में रखा हुआ है, उससे भी जबरदस्ती निकालने पर आमदा है, इसी आशय से झूंठे तथ्यो के आधार पर यह कार्यवाही पेश की है। अप्रार्थिया को परेशान करने की गरज से झूंठे तथ्यो के आधार पर झूंठी रिपोर्ट कई बार दर्ज करवाई गरयी है, क्योकि प्रार्थी की पहचान पलिस में है उनसे मिलकर कई बार अप्रार्थिया के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी और अप्रार्थिया क्रम 2 को नाजायज परेशान किया गया, जबकि अप्रार्थिया ने कभी भी शांती भंग नही की, ना ही कोई लड़ाई–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

झगड़ा किया है. बल्कि अप्रार्थिया से शांतीपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहती है, जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 नही करने दे रहे है। अप्रार्थिया क्रम 2 ने प्रार्थी व अपने पति अप्रार्थी संख्या 1 के प्रति अपना फर्ज निभाया है और आज भी निभाने के लिए तैयार व तत्पर है, कभी भी कोई गलत व्यवहार नही किया है। अप्रार्थिया, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के साथ कभी भी लडाई–झगडा व गलत व्यवहार नहीं किया है, बल्कि अप्रार्थिया क्रम 2 तो अपने पत्नि धर्म का पालन करते हुऐ पूर्ण निष्ठा पूर्वक शांती से जीवन व्यतीत करना चाहती है। प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 की स्वयं की किराने की बडी दुकान है, जो कि अच्छी खासी चलती है और लगभग 7000/–रूपये रोजाना की इनकम होती है तथा इसके पत्थर का व्यवसाय करते है, जिससे भी अच्छी खासी आय होती है, तथा इसके अलावा उसी मकान में जी०जी० चलता है तथा 7 कमरे किराये पर दिये हुऐ है, जिनसे 15,000 /–रूपये मासिक किराये का आता है, इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 आराम से जीवन व्यतीत कर रहे है, जबकि अप्रार्थिया क्रम 2 की स्वयं की कोई आय नही है, ना ही आय का कोई जरिया ही है, अप्रार्थीया क्रम 2, अप्रार्थी संख्या 1 से जीवन निर्वाह हेतु पैसे मांगती है तो पैसे देने के बजाय उल्टा अप्रार्थी संख्या 1 मारपीट करता है और प्रार्थी के साथ मिलकर अप्रार्थिया क्रम 2 को घर से निकालने पर आमदा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 दोनो ने अपस में मिलीभगत करके अप्रार्थिया क्रम 2 को अलग थलग कर दिया है और उसकी कोई सार संभाल तक नही ली जाती है बल्कि उसे जीने मरने के लिए बच्चो सहित छोड़ा हुआ है, जिसके कारण अप्रार्थीया बमूश्किल जीवन व्यतीत कर रही है। अप्रार्थिया क्रम 2 ने कभी भी प्रार्थी के साथ गलत व्यवहार व मारपीट नही की है, बल्कि अप्रार्थिया क्रम 2 तो आज भी प्रार्थी को अपने पिता समान मानती है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अप्रार्थिया क्रम 2 के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा साथ ही अप्रार्थिया क्रम 2 को स्वयं व बच्चो के जीवन निर्वाह व भरण पोषण हेतु व घर खर्चे हेतु प्रार्थी व अप्राथी संख्या 1 से 15,000/–रूपये की राशि दिलवाई जावे तथा यह भी आदेश दिया जावे कि अप्रार्थिया संख्या 2 को बच्चो सहित मकान से नही निकाले और मकान में शांतीपूर्वक निवास करने देने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से बहस में प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बहस नहीं की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2025 को निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी नं0 2 द्वारा न्यायलय जिला कलक्टर कोटा में अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोडेन्ट सच्चानंद की सहमति से माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 30.05.2025 निरस्त कर विधि अनुरूप निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

प्रार्थी की ओर से पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र एवं न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

दर्ज प्रकरण की प्रति पेश की गई थी। जिसके अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी द्वारा दिनांक 26.07.2024 को इस्तगासा अन्तर्गत धारा 126,135(3) सीआरपीसी श्रीमति दीपीका पत्नी श्री राकेश माखीजा के विरूद्ध इलाका हाजा में शांति व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की सम्भावना के कारण न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट में पेश गया। जिसमें न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा श्रीमती दीपिका पत्नी राकेश माखीजा को 6 माह के लिये परिशांति कायम रखने हेतु पाबंद करने के लिए दिनांक 29.07.2024 को प्रकरण दर्ज कर किया गया।

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा से प्रकरण रिमाण्ड होने के पश्चात प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पैन ड्राईव प्रस्तुत किया है। पैन ड्राईव को साक्ष्य के रूप से ग्राह्य तो नही किया जा सकता है परन्तु न्यायालय के अभिमत के निर्धारण में सुविधा तथा न्याय निर्णयन के लिए मार्गदर्शन जरूर लिया जा सकता है। पैन ड्राईव के अवलोकन से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि नही होती है। पेन ड्राईव के अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वर्तमान में अप्रार्थी नं0 2 द्वारा अप्रार्थी के साथ लडाई झगड़ा या मारपीट की गई। जिस कारण से वर्तमान परिस्थिति में हम प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी नं0 2 को उक्त मकान से बेदखल किया जाना उचित नही पाते है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे भविष्य में प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24/4/26 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा